राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(1)वित्त/बीमा/2026 जयपुर, दिनांक 19.03.2026

आज्ञा

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा 2023 में सफल घोषित किये जाने पर एवं आयोग की अनुशंषानुसार कार्मिक (क–4/2) विभाग की अशा. टीप क्रमांक प.9(80)कार्मिक/क–4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा नियम 1959 के नियम 22, 24बी, एवं 30 के अनुसरण में माननीय राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद्द्वारा निम्न शर्तो के अध्यधीन नियुक्त किया जाता है। यह संगत तिथि इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (IGPRS), जयपुर में आधारभूत पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण) के लिए रिपोर्ट करने की तिथि अथवा पूर्व में आधारभूत पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में इस विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि के अनुसार होगी:–

| SNO | MERIT NO | RNO | NAME | CATEGORY | BIRTH DATE | QUOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 222 | 1109532 | NEHA SHARMA | GE,WE | 08-03-2000 | GF-QT |
| 2. | 245 | 1106657 | POONAM BISHNOI | BC,WE,ME | 10-02-1999 | GM-AG |
| 3. | 262 | 1103950 | PRIYANKA SHARMA | GE,WE | 29-04-1991 | GM-AG |
| 4. | 266 | 1108748 | MOHAN SHARMA KAUSHIK | GE,RG | 07-03-1990 | GM-QT |
| 5. | 269 | 1101870 | NISHA CHOUDHARY | BC,WE,RG | 01-06-1998 | OF-QT |
| 6. | 271 | 1119922 | PRIYANKA CHHIPA | BC,WE,RG | 17-11-1987 | OM-AG |
| 7. | 285 | 1109489 | SUNIL DHAYAL | BC,RG | 23-04-1985 | OM-QT |
| 8. | 410 | 1117928 | DEEPAK SHARMA | EWS,RG | 02-02-1996 | EM-QT |
| 9. | 649 | 1110304 | SAMIRA MAKKER | GE,WE,DV,RG | 17-02-1989 | GF-DV |
| 10. | 897 | 1106991 | SUNIL KUMAR TANWAR | MB,ME,RG | 01-07-1999 | MM-QT |
| 11. | 1070 | 1108929 | MANOHAR LAL | SC,NG,RG | 15-11-1989 | CM-QT,NG |
| 12. | 1072 | 1108237 | TAPENDRA KUMAR MEENA | ST | 15-03-1994 | TM-QT |
| 13. | 1341 | 1111888 | POOJA JATAWAT | SC,WE | 27-07-1995 | CF-QT |
| 14. | 1617 | 1101501 | RAM PRASAD KHATI | BC,LD,RG | 01-07-1991 | OM-LD |

1. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजो की जांच के अध्यधीन रहेगी।
2. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प.14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule iv/ Rules no 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
3. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होगा।

4. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होनें परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियॉ राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा नियमों के नियम 30 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
6. उक्त नियुक्तियॉ सम्बन्धित सेवा नियमों और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
7. उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
8. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा के एक दक्ष अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेंगी।
9. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के भीतर त्याग पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुणा राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुणा राशि सरकार को संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
10. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
11. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय प्रस्तुत करेंगे।
12. अभ्यर्थियों के लिए इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा तय प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास में निवास करना अनिवार्य है। छात्रावास सुविधा 23.03.2026 को अपरान्ह पश्चात् से उपलब्ध होगी।
13. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर की वेबसाईट www.hcmripa.gov.in पर उलब्ध है।
14. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है, एवं उस प्रकरण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है तो उसके संबंध में कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार निर्णय लिया जाना है।
15. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत Self declaration अथवा शपथ पत्र के संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसी अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्व अमल में लाई जायेगी।
16. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है और जिनके द्वारा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/सन्तानों की सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/सन्तानों की सूचना इस हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित अवधि के दौरान प्रस्तुत करनी होगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चात्वर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई की माना जायेगा।
17. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी उक्त आज्ञा जारी होने की तिथि से 7 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
18. उक्त अभ्यर्थियों को उक्त सेवा के प्रशिक्षण कार्यक्रम इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 23.03.2026 को प्रातः 09:30 बजे से आयोजित करवाया जायेगा। अतः उक्त अभ्यर्थी दिनांक 23.03.2026 को प्रातः 09:30 बजे इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

संस्थान जयपुर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में निर्धारित कोर्स उत्तीर्ण कर लिया गया है ऐसे सभी अभ्यर्थी दिनांक 23.03.2026 को सीधे ही निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि उनके प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होने की दिनांक अथवा विभाग में कार्यग्रहण तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

19. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र कमांक प. 7(13)कार्मिक/क–2/23 दिनांक 11.05.2023 के द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20. एच.सी.एम. रीपा, जयपुर का पत्र दिनांक 23.02.2026 एवं 18.03.2026 संलग्न कर लेख है कि पत्र में संबंधित सेवाओं के प्रशिक्षण स्थल एवं अभ्यर्थियों हेतु दिशा–निर्देशों का उल्लेख है। साथ ही कार्यग्रहण व्यवस्था हेतु श्री करण सिंह चारण, संयुक्त निदेशक, संस्थापन, जयपुर (मोबाईल नम्बर–7014348875) एवं श्री इन्द्र कुमार भानू, संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, जयपुर (मोबाईल नम्बर–9784718155 ) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

21. उक्त सेवा आवंटन एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5847/2025, 9210/2025, 9092/2025, 9253/2025, 9338/2025, 9595/2025, 3318/2025, 7475/2025, 15003/2025, 15372/2025, 15660/2025, 4167/2026 एवं उक्त परीक्षा के संबंध में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(धनलाल शेरावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया, वित्त।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिवगण।
9. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर ।
10. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
11. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग को उनकी अशा.टीप कमांक प.9(80)कार्मिक/क–4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 के कम में।
13. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन/प्रशासनिक सुधार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
15. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
19. संबंधित अधिकारीगण कम संख्या 01 से 14 तक–––––––––––––––।
20. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव 19/3/26

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(1)वित्त/बीमा/2026 जयपुर, दिनांक 19.03.2026

राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा
संवर्ग में चयनित समस्त 14 अभ्यर्थिगण (सूची संलग्न)

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा वर्ष 2023 में सफल घोषित किये जाने एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंषानुसार कार्मिक (क–4/2) विभाग की अशा.टीप कमांक प9(80)कार्मिक/क–4/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 के द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में चयनित सभी अभ्यर्थीगणों को सूचित किया जाता है कि तालिका में अंकित दस्तावेजों के साथ **दिनांक 23.03.2026 प्रातः 9.30 बजे** इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में आवश्यक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें:–

| क्र.स. | दस्तावेजों का विवरण |
|---|---|
| 1. | पासपोर्ट साईज फोटो की 10 प्रतियां मय स्टाम्प साईज फोटो की 10 प्रतियां |
| 2. | बैंक अकाउन्ट का विवरण (बचत खाता संख्या, ब्रांच, आईएफएससी कोड, कैंसिल चैक |
| 3. | पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति |
| 4. | आवेदन के समय धारित शैक्षिणक योग्यताओं संबंधी मूल दस्तावेज एवं उनकी 1–1 स्वप्रमाणित प्रति |
| 5. | सेवा आवंटन के समय धारित अतिरिक्त शैक्षिणक योग्यताओं संबंधी मूल दस्तावेज एवं उनकी 1–1 स्वप्रमाणित प्रति |
| 6. | जन्मतिथि प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति) |
| 7. | विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति) यदि विवाहित है। |
| 8. | मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति) |
| 9. | आपराधिक प्रकरणों के संबंध में Self declaration अथवा शपथ पत्र |
| 10. | वैवाहित होने की स्थिति में जीवित संतान/संतानों की सूचना |
| 11. | गुटखा एवं धूम्रपान सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्व प्रपत्र |
| 12 | जन आधार कोर्ड की फोटोप्रति स्वप्रमाणित। |
| 13 | कक्षा 10 की अंकतालिका/प्रमाण पत्र |
| 14 | नियुक्ति आदेश की प्रति। |
| 15 | प्रशिक्षण सत्रो हेतु औपचारिक वेशभूषा –पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के लिए पेंट और व्हाईट शर्ट एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए हल्के रंग की साडी। |

आज्ञा से

(धनलाल शेरावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महानिदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, प्रशिक्षण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त /शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि विभागीय संबंधित अधिकारी श्री करण सिंह चारण, संयुक्त निदेशक एवं श्री इन्दं कुमार भानू, संयुक्त निदेशक को दिनांक 23.03.2026 के प्रातः 9.30 बजे दस्तावेज सत्यापन हेतु इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में भिजवाना तथा दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट तत्काल इस विभाग को व्यक्तिशः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. श्री करण सिंह चारण, संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर/श्री इन्दु कुमार भानू, संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव 19/3/26

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा वर्ष 2023 में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा के चयनित 14 अभ्यर्थियों की सूची

| S.No. | Merit NO. | Roll No | Name | Category | Date of Birth | Remark | Page No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 222 | 1109532 | NEHA SHARMA | GE,WE | 08-03-2000 | GF-QT | 01-42 |
| 2. | 245 | 1106657 | POONAM BISHNOI | BC,WE,ME | 10-02-1999 | GM-AG | 01-50 |
| 3. | 262 | 1103950 | PRIYANKA SHARMA | GE,WE | 29-04-1991 | GM-AG | 01-55 |
| 4 | 266 | 1108748 | MOHAN SHARMA KAUSHIK | GE,RG | 07-03-1990 | GM-QT | 01-46 |
| 5 | 269 | 1101870 | NISHA CHOUDHARY | BC,WE,RG | 01-06-1998 | OF-QT | 01-61 |
| 6 | 271 | 1119922 | PRIYANKA CHHIPA | BC,WE,RG | 17-11-1987 | OM-AG | 01-49 |
| 7 | 285 | 1109489 | SUNIL DHAYAL | BC,RG | 23-04-1985 | OM-QT | 01-53 |
| 8 | 410 | 1117928 | DEEPAK SHARMA | EWS,RG | 02-02-1996 | EM-QT | 01-48 |
| 9 | 649 | 1110304 | SAMIRA MAKKER | GE,WE,DV,RG | 17-02-1989 | GF-DV | 01-83 |
| 10 | 897 | 1106991 | SUNIL KUMAR TANWAR | MB,ME,RG | 01-07-1999 | MM-QT | 01-35 |
| 11 | 1070 | 1108929 | MANOHAR LAL | SC,NG,RG | 15-11-1989 | CM-QT,NG | 01-35 |
| 12 | 1072 | 1108237 | TAPENDRA KUMAR MEENA | ST | 15-03-1994 | TM-QT | 01-40 |
| 13 | 1341 | 1111888 | POOJA JATAWAT | SC,WE | 27-07-1995 | CF-QT | 01-51 |
| 14 | 1617 | 1101501 | RAM PRASAD KHATI | BC,LD,RG | 01-07-1991 | OM-LD | 01-78 |

19/3/26

(धन लाल शेरावत)
संयुक्त शासन सचिव

अभ्यर्थी का नवीनतम
पासपोर्ट साईज फोटो

सेवा में,

श्रीमान् शासन सचिव,
वित्त (व्यय) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः–राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा 2023 में चयनित राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा के अधिकारी प्रशिक्षण पर उपस्थिति दिनांक -------- की स्थिति में व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी का चयन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा संवर्ग में होने के फलस्वरूप दिनांक -----------को --------बजे हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति प्रस्तुत कर आजदिनांक की स्थिति में प्रार्थी की व्यक्तिगत सूचना निम्नानुसार प्रेषित हैः–

| क.स. | चाही गई सूचना | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | प्रशिक्षु अधिकारी का नाम (हिन्दी / अंग्रेजी में) | |
| 2. | पिता का नाम (हिन्दी / अंग्रेजी में) | |
| 3. | जन्म तिथि | |
| 4 | लिंग | |
| 5 | वर्ग | |
| 6 | गृह जिला | |
| 7 | राजकीय सेवा में होने पर कर्मचारी आईडी (एम्पलॉय आईडी) एवं प्रथम नियुक्ति दिनांक | |
| 8 | दूरभाष नम्बर | |
| 9 | ई–मेल आईडी | |
| 10 | स्थाई पता | |
| 11 | वर्तमन पता | |
| 12 | मूल निवास स्थान | |
| 13 | मोबाईल न. | |
| 14 | आपातकालीन मोबाईल न. | |
| 15 | संतानों की सूचना का विवरण | |
| 16 | अन्तिम शैक्षणिक योग्यता | |
| 17 | विवाहित अथवा अविवाहित | |
| 18 | वर्तमान स्थिति में विभागीय जांच / एफआईआर / न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के संबंध में सूचना का विवरण | |

हस्ताक्षर मय दिनांक

## –: घोषणा पत्र :–

मैं————————————————पुत्र/पत्नी श्री ————————————————निवासी———————————————— ———————————————— शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा चयन राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा 2023 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में हुआ है। मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि:–

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की संख्या—————थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

| क.स. | नाम | जन्म तिथि |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

2. दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चों (पुत्र/पुंत्री) की संख्या में वृद्वि हुई है एवं वर्तमान मं मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या —————है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

| क.स. | नाम | जन्म तिथि |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

3. यह कि उक्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं अभिलेख के आधार पर सही है एवं इनके सत्य होने की घोषणा करता/करती हूँ।

घोषणाकर्ता